

26989 - ईदैन की नमाज़ का हुक्म

प्रश्न

क्या ईदैन यानी ईदुल-फित्र और ईदुल-अज़हा की नमाज़ अनिवार्य है या सुन्नत, और जो व्यक्ति उसे छोड़ देता है उसपर क्या पाप है?

विस्तृत उत्तर

ईदैन यानी ईदुल-फित्र और ईदुल-अज़हा की नमाज़ फर्ज़-किफ़ाया है (अर्थात् उनकी अदायगी करना पूरे समुदाय का दायित्व है)। जबकि कुछ विद्वानों का कहना है कि: वे दोनों नमाज़ें, जुमा की नमाज़ की तरह फर्ज़-ऐन हैं (अर्थात् उनकी अदायगी करना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है)। अतः मुसलमान के लिए उन्हें छोड़ना उचित नहीं है।

और अल्लाह तआला ही तौफ़ीक़ प्रदान करनेवाला है।